



दिनांक: मई 22, 2022

संख्या: 46-1/2021-डीजेएसएस(एमएसडीई) भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

कौशल विकास के लिए जन शिक्षण संस्थान (एनजीओ) स्थापित करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने हेतु नोटिस

देश के 250 अभिज्ञात जिलों में नए जन शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

पात्रता शर्तें पूरा करने वाली इच्छुक एजेंसियां अपने विस्तृत रूचि की अभिव्यक्ति /प्रस्ताव जेएसएस पोर्टल (www.jss.gov.in) के माध्यम से दिनांक 21/06/2022 (शाम 5:00 बजे तक) अथवा उससे पहले ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकती हैं। किसी प्रकार की हार्ड कॉपी /ई-मेल अथवा किसी अन्य प्रकार के आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। नियत तिथि/समय के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन के लिए विस्तृत पात्रता मानदंड /शर्तें, चयन प्रक्रिया, अभिज्ञात 250 जिलों की सूची और नमूना प्रपत्र जेएसएस की वेबसाइट <u>www.jss.gov.in</u> के साथ –साथ मंत्रालय की वेबसाइट <u>www.msde.gov.in</u> और सीपीपी पोर्टल https://eprocure.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। स्कीम के दिशा –निर्देश भी जेएसएस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

हेत राम अवर सचिव, भारत सरकार जेएसएस प्रभाग कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कक्ष संख्या 203, द्वितीय तल, पीटीआई बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001, दूरभाष: 011-23465903








भाग क

चयन हेतु पैरामीटर

क्र.सं.	पैरामीटर	शर्तें/प्रावधान		
1.	पात्रता मानदंड	निम्नलिखित मानदंड को पूरा करने वाले एनजीओ /एजेसियां जेएसएस पोर्टल के		
		माध्यम से अपने विस्तृत प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करने के पात्र होंगे: –		
		पंजीकरण		
		• सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/न्यासिता अधिनियम /कंपनी		
		अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत वैध पंजीकरण		
		 आयकर अधिनियम की धारा 12ए और 80जी के तहत वैध पंजीकरण 		
		 एफसीआरए के तहत वैध पंजीकरण 		
		 नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर वैध पंजीकरण। 		
		वार्षिक कारोबार		
		 पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के 		
		लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम वार्षिक कारोबार 10.00 लाख रुपए		
		 चार्टर्ड एकाउंटेंट से वार्षिक कारोबार के संबंध में लेटर हेड पर प्रमाण -पत्र 		
		अपलोड किया जाना चाहिए		
		अनुभव		
		 व्यावसायिक प्रशिक्षण /कौशल विकास /चिकित्सा/उद्यमशीलता/ सामुदायिक 		
		विकास / ग्रामीण विकास / स्वास्थ्य / जीवन कौशल / कल्याण कार्यक्रमों सहित		
		शिक्षण संस्थान चलाने में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।		
2.	अतिरिक्त मापदंड	 लागू जिले में अवसंरचना और मानव संसाधन। 		
		 एजेंसी द्वारा प्राप्त पुरस्कार/सम्मान। 		
3.	नियम और शर्तें	आवेदक एजेंसी को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा		
		ब्लैकलिस्ट/डी-लिंक नहीं होनी चाहिए। लेटर हेड पर अंडरटेकिंग जमा करनी		
		होगी।		
		• चयनित एजेंसी को जेएसएस की मंजूरी की तारीख से 90 दिनों के भीतर		
		स्वीकृत जिले /राज्य में राज्य /संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम के अनुसार सोसायटी		
		पंजीकरण अधिनियम के तहत जन शिक्षण संस्थान को एक अलग इकाई के रूप में		
		पंजीकृत करना चाहिए।		
		जेएसएस का परिचालन क्षेत्र केवल आवंटित जिला होगा अर्थात जेएसएस के		
		कार्यक्रम और कार्यकलाप जिले के भीतर संचालित किए जाने चाहिए और		
		लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से से हो सकता है।		
		• सब-लेटिंग पर प्रतिबंध : जेएसएस को स्वयं कार्यक्रम चलाना चाहिए और		
		प्रशिक्षण के संचालन के लिए किसी भी प्रकार की सब-लेटिंग या सब-कॉन्ट्रैक्टिंग		
		या फ्रेंचाइजी व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में सख्त वर्जित है।		
		• जेएसएस प्रभावी कौशल हेतु अवसंरचना स्थापित करने / तकनीकी सहायता के		
4	<u>*</u>	लिए दाता एजेंसियों /परोकारी संगठनों के साथ सहयोग कर सकता है।		
4.	बैंक प्रतिभूति	• चयनित एजेंसी को प्रत्येक जेएसएस के लिए 18 महीने की अवधि के लिए		
		राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक से 30 लाख रुपये की बैंक प्रतिभूति अलग से जमा		
	2 4	करनी होगी।		
5.	फंडिंग पैटर्न	 दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक जेएसएस को वार्षिक अनुदान जारी किया 		










		जाएगा।
		 जन शिक्षण संस्थान को प्रदर्शन के आधार पर दो किस्तों में अनुदान जारी किया
		जाएगा।
6.	जेएसएस का आवंटन	 जेएसएस का आवंटन एमएसडीई की चयन प्रक्रिया के माध्यम से अभिज्ञात जिलों
	17",7" 11 11 11	में किया जाएगा।
		 जेएसएस के आवंटन की पद्धित को तैयार करने का एकमात्र विवेक एमएसडीई के
		पास होगा।
7.	चयन प्रक्रिया	 आवेदकों की जांच, संवीक्षा/आकलन, क्षेत्र दौरा, मूल्यांकन और रैंकिंग की पूरी
		प्रक्रिया एमएसडीई द्वारा की जाएगी
		जेएसएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी ऑनलाइन आवेदनों की छानबीन इस
		उद्देश्य के लिए विशेष रूप से तैयार और विकसित सॉफ्टवेयर द्वारा की जाएगी।
		 एमएसडीई अधिकारियों की एक टीम प्रणाली द्वारा दिए गए अंकों को मान्य
		करेगी और क्षेत्र निरीक्षण के लिए पात्र एजेंसियों की सिफारिश करेगी।
		 आवेदनों की जांच के लिए 50 अंक होंगे।
		• कट ऑफ: क्षेत्रीय निरीक्षण की सिफारिश करने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड
		स्थानीय रूप से पंजीकृत और एनईआर जिलों र्जम्मू-कश्मीर संघ राज्य
		क्षेत्र / कठिन द्वीपों के लिए आवेदन करने वाली एजेंसियों को छोड़कर सभी
		एजेंसियों के लिए 30 अंक (60%) है। एनईआर जिलों/ जम्मू-कश्मीर/कठिन
		द्वीपों के लिए और स्थानीय रूप से पंजीकृत आवेदन करने वाली एजेंसियों के
		लिए कट ऑफ 50% अर्थात 25 अंक है।
		• कट-ऑफ के अनुसार एजेंसियों की अनुपलब्धता के मामले में , एमएसडीई सक्षम
		प्राधिकारी के अनुमोदन से कट–ऑफ अंकों में छूट दे सकता है।
		अनुशंसित एजेंसियों का उनके मूल स्थान अर्थात एनजीओ के मुख्यालय और लागू
		स्थान / जिले का वास्तविक सत्यापन करने के लिए क्षेत्र दौरा / निरीक्षण।
		 क्षेत्र निरीक्षण के लिए 25 अंक होंगे। निरीक्षण अंक क्रमशः मुख्यालय और
		आवेदित जिले में 60:40 के अनुपात में विभाजित किए जाएंगे।
		• संवीक्षा और क्षेत्र निरीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक जिले की शीर्ष तीन
		एजेंसियों को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति के लिए बुलाया जाएगा।
		• तकनीकी प्रस्तुति के लिए 25 अंक होंगे।
		 एमएसडीई जांच, संवीक्षा, क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट और चयन समिति के अंक
		संकलित करेगा और माननीय मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रत्येक जिले के लिए
		एजेंसियों के अंतिम चयन के लिए सिफारिश करेगा।
		 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एजेंसियों /गैर सरकारी संगठनों को प्रत्येक
		जिले में नया जन शिक्षण संस्थान स्वीकृत किया जाएगा।
8.	ऑनलाइन आवेदन	 पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली इच्छुक एजेंसियां अपना विस्तृत प्रस्ताव
	प्रस्तुत करना	जेएसएस पोर्टल (www.jss.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर
		सकती हैं।
		 किसी हार्ड कॉपी /ईमेल या आवेदन के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया
		जाएगा।
		 एजेंसी एकल आवेदन जमा करेगी। एजेंसी की सामान्य जानकारी एक बार
		अपलोड की जाएगी और कई जिलों के लिए एजेंसी को दी गई सूची से जिलों का
		चयन करना चाहिए और प्रत्येक (आवेदित) जिले का विवरण अलग से जमा
		 एजेंसी को एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा विधिवत मुहरबंद और
		करना चाहिए।









हस्ताक्षरित दस्तावेज अपलोड करने चाहिए।
 सभी दस्तावेज सुपाठ्य होने चाहिए।
 अपठनीय दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन को सरसरी तौर
पर खारिज कर दिया जाएगा।
 आवेदन की स्थिति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21/06/2022 (शाम 5:00
बजे तक) है।

भाग-ख

अंकन पैरामीटर

क्र.सं.	पैरामीटर	अधिकतम अंक			
क.	ऑनलाइन प्रस्ताव की जांच और तकनीकीआकलन				
	तकनीकी अर्हता (अधिकतम अंक-32)				
क.1	आवेदित जिले में एजेंसी की उपस्थिति	1			
क.2	सभी क्षेत्रों (2018-19, 2019-20, 2020-21) में किसी भी सरकार द्वारा	10			
	प्रायोजित कार्यक्रमों (किसी भी विभाग/बोर्ड/कॉर्पोरेशन/निगम/राज्य सरकार के				
	मिशन द्वारा आवंटित कार्य) के तहत पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कौशल विकास				
	प्रशिक्षण प्रदान किया गया।				
क.3	सभी क्षेत्रों (2018-19, 2019-20, 2020-21) में पिछले 3 वित्तीय वर्षों में	10			
	कौशल प्रशिक्षण के बाद नियोजन , रोजगार और स्व –रोजगार प्राप्त करने वाले				
	प्रशिक्षुओं की संख्या				
क.4	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कौशल प्रशिक्षण के अलावा केंद्र /राज्य/स्थानीय	09			
	सरकार /सीएसआर की परियोजनाएं –				
क.5	शैक्षणिक / प्रबंधन / चिकित्सा या एजेंसी द्वारा संचालित किसी अन्य संस्थान की	02			
	संख्या				
क.6	वित्तीय अर्हता (अधिकतम अंक-12)				
(ক)	पिछले तीन वर्षों में वार्षिक कारोबार (2018-19, 2019-20, 2020-21)	12			
क.7	अतिरिक्त अर्हता (अधिकतम अंक : 6)				
(ক)	आवेदित जिले में बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन	04			
(ख)	एजेंसी द्वारा प्राप्त पुरस्कार ⁄ सम्मान	02			
ख.	अनुशंसित एजेंसियों का उनके आधार स्थान अर्थात एनजीओ के मुख्यालय और	25			
	आवेदित स्थान/जिले का प्रत्यक्ष सत्यापन करने के लिएस्थान का दौरा/निरीक्षण।				
ग.	तकनीकी प्रस्तुति	25			
	ब्योरा:				
	जिले में कौशल विकास पर एजेंसी का दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली।				
	• एजेंसी के संकाय, आधारभूत संरचना, ट्रैक रिकॉर्ड, पुरस्कार ⁄ सम्मान				
	• जेएसएस के प्रति एजेंसी का दृष्टिकोण				







भाग ग

आवेदन पत्र और ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश जेएसएस पोर्टल(www.jss.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

भाग घ

चिन्हित जिलों की सूची

क्र∙सं∙	राज्य/संघ राज्यआ क्षेत्र	जिला
अंडमान औ	र निकोबार द्वीप समूह (02)	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	निकोबार
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उत्तर मध्य अंडमान
आंध्र प्रदेश	(05)	
3	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर. कडपा
4	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम
5	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी
6	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी (एलुरु)
7	आंध्र प्रदेश	श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर
अरुणाचल	प्रदेश ⁽¹⁷⁾	
8	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई
9	अरुणाचल प्रदेश	अंजाव
10	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग
11	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग घाटी
12	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग
13	अरुणाचल प्रदेश	क्रा दादि
14	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग कुमेयू
15	अरुणाचल प्रदेश	लॉन्गडिंग
16	अरुणाचल प्रदेश	निचली दिबांग घाटी
17	अरुणाचल प्रदेश	शी योमी
18	अरुणाचल प्रदेश	सियांग
19	अरुणाचल प्रदेश	तवांग
20	अरुणाचल प्रदेश	तिरप
21	अरुणाचल प्रदेश	अपर सियांग
22	अरुणाचल प्रदेश	अपर सुबनसिरी
23	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम कामेंग
24	अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे
असम ^{(1:}	2)	
25	असम	बक्सा
26	असम	बारपेटा
27	असम	गोलपाड़ा
28	असम	हैलाकांडी
29	असम	उदलगुड़ी







30	असम	चिरांग		
31	असम	करीमगंज		
32	असम	कोकराझार		
33	असम	दक्षिण सलमारा मनकाचार		
34	असम	दीमा हसाओ		
35	असम	कार्बी आंगलोंग		
36	असम	पश्चिम कार्बी आंगलोंग		
बिहार (0	9)			
37	बिहार	कटिहार		
38	बिहार	खगरिया		
39	बिहार	पूर्णिया		
40	बिहार	शेखपुरा		
41	बिहार	कैमूर (भभुआ)		
42	बिहार	लखीसराय		
43	बिहार	मुंगेर		
44	बिहार	रोहतास		
45	बिहार	सुपौल		
छत्तीसगढ	(06)			
46	छत्तीसगढ	बलरामपुर		
47	छत्तीसगढ	धमतरी		
48	छत्तीसगढ	गरियाबंद		
49	छत्तीसगढ	कबीरधाम		
50	छत्तीसगढ	मुंगेल <u>ी</u>		
51	छत्तीसगढ	जशपुर		
	हवेली और दमन दीव (01)			
52	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	दमन		
Delhi (09)			
53	दिल्ली	मध्य दिल्ली		
54	दिल्ली	पूर्वी दिल्ली		
55	दिल्ली	नई दिल्ली		
56	दिल्ली	उत्तरी दिल्ली		
57	दिल्ली	उत्तर पूर्वी दिल्ली		
58	दिल्ली	शाहदरा		
59	दिल्ली	दक्षिण दिल्ली		
60	दिल्ली	दक्षिण पूर्वी दिल्ली		
61	दिल्ली	दक्षिण पश्चिम दिल्ली		
गोवा (01)			
62	गोवा	दक्षिण गोवा		







गुजरात (09)			
63	गुजरात	दाहोद	
64	गुजरात गुजरात	नर्मदा	
65	गुजरात	छोटाउदेपुर	
66	गुजरात	डेंग डेंग	
67	गुजरात	तापी	
68	गुजरात	अमरेली	
69	गुजरात	भावनगर	
70	गुजरात	देवभूमि द्वारका	
71	गुजरात	जूनागढ़	
हरियाणा	(06)	2	
72	हरियाणा	नूह	
73	हरियाणा	भिवानी	
74	हरियाणा	फरीदाबाद	
75	हरियाणा	हिसार	
76	हरियाणा	झज्जर	
77	हरियाणा	कैथल	
हिमाचल प्र	ादेश (01)		
78	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	
जम्मू और	_{कश्मीर} (¹⁷)		
79	जम्मू और कश्मीर	सांबा	
80	जम्मू और कश्मीर	बांदीपुरा	
81	जम्मू और कश्मीर	बडगाम	
82	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	
83	जम्मू और कश्मीर	पूंछ	
84	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	
85	जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग	
86	जम्मू और कश्मीर	डोडा	
87	जम्मू और कश्मीर	गांदरबल	
88	जम्मू और कश्मीर	किश्तवाड़	
89	जम्मू और कश्मीर	कुलगाम	
90	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	
91	जम्मू और कश्मीर	रामबन	
92	जम्मू और कश्मीर	रियासी	
93	जम्मू और कश्मीर	शोपियां	
94	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	
95	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	
	(11)		
96	झारखंड	चतरा	
97	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	





Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

98	झारखंड	गोड्डा
99	झारखंड	लोहरदगा
100	झारखंड	साहेबगंज
101	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम
102	झारखंड	धनबाद
103	झारखंड	सरायकेला खरसावां
104	झारखंड	देवघर
105	झारखंड	जामताड़ा
106	झारखंड	कोडरमा
कर्नाटक	(05)	<u>'</u>
107	कर्नाटक	चामराजनगर
108	कर्नाटक	चिक्कबल्लपुर
109	कर्नाटक	कोप्पल
110	कर्नाटक	उडुपी
111	कर्नाटक	विजयपुरा
केरल (01)	
112	केरल	वायनाड
मध्य प्रदे	श् (11)	
113	मध्य प्रदेश	बड़वानी
114	मध्य प्रदेश	राजगढ़
115	मध्य प्रदेश	सिंगरौली
116	मध्य प्रदेश	विदिशा
117	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर
118	मध्य प्रदेश	बालाघाट
119	मध्य प्रदेश	झाबुआ
120	मध्य प्रदेश	अशोकनगर
121	मध्य प्रदेश	मन्दसौर
122	मध्य प्रदेश	नीमच
123	मध्य प्रदेश	शिवपुरी
महाराष्ट्र	(05)	
124	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद
125	महाराष्ट्र	हिंगोल <u>ी</u>
126	महाराष्ट्र	अमरावती
127	महाराष्ट्र	नागपुर
128	महाराष्ट्र	वर्धा
मणिपुर	(08)	
129	मणिपुर	चुराचंद्रपुर
130	मणिपुर	कामजोंग
131	मणिपुर	फेरज़ावल
132	मणिपुर	टेंग् <u>ग</u> ौपाल








		\sim		\sim		\sim	6 7 6
नार	जन	प्रशस्त्रण	सस्थान	स्थापित	करन व	हाला	दआआद
12	-1.1	12141.1	(1/ -11-1	7 -111 131	0.7.1		रणाजार

133	मणिपुर	उखरूल		
134	मणिपुर	तामेंगलांग		
135	मणिपुर	बिश्रुपुर		
136	मणिपुर	इंफाल पूर्व		
मेघालय (10)			
137	मेघालय	री भोई		
138	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स		
139	मेघालय	पूर्वी जयंतिया हिल्स		
140	मेघालय	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स		
141	मेघालय	दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स		
142	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स		
143	मेघालय	पश्चिम जयंतिया हिल्स		
144	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स		
145	मेघालय	पूर्वी गारो हिल्स		
146	मेघालय	उत्तरी गारो हिल्स		
1.1.11.7.1	(10)			
147	मिजोरम	चम्फाई		
148	मिजोरम	हनहथियाल		
149	मिजोरम	ख्वाजावल		
150	मिजोरम	लॉगटलाई		
151	मिजोरम	लुंगलेई		
152	मिजोरम	सैहा		
153	मिजोरम	सैतुअल		
154	मिजोरम	सेरछिप		
155	मिजोरम	आइजोल		
156	मिजोरम	कोलासिब		
नागालैंड (
157	नागालैंड	लॉन्गलेंग		
158	नागालैंड	मोन		
159	नागालैंड	नोक्लाक		
160	नागालैंड	फेक		
161	नागालैंड	तुएनसांग		
162	नागालैंड	कोहिमा		
163	नागालैंड	मोकोकचुंग		
164	नागालैंड	वोखा		
165	नागालैंड	जुन्हेबोटो		
166	नागालैंड	पेरेन		
ओडिशा (01)				
167	ओडिशा	झारसुगुडा		
-	•	-		








Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

पुदुचेरी (04)					
168	पुदुचेरी	पुदुचेरी			
169	पुदुचेरी	कराईकल			
170	पुदुचेरी	माहे			
171	पुदुचेरी	यानाम			
पंजाब (09)					
172	पंजाब	फिरोजपुर			
173	पंजाब	मोगा			
174	पंजाब	अमृतसर			
175	पंजाब	फाजिल्का			
176	पंजाब	गुरदासपुर			
177	पंजाब	पठानकोट			
178	पंजाब	तरनतारन			
179	पंजाब	बठिंडा			
180	पंजाब	संगरूर			
राजस्थाुन	r(10)				
181	राजस्थाुन	बरन			
182	राजस्थाुन	धौलपुर			
183	राजस्थाुन	करौली			
184	राजस्थाुन	सिरोही			
185	राजस्थाुन	जालौर			
186	राजस्थाुन	गंगानगर			
187	राजस्थाुन	बांसवाड़ा			
188	राजस्थान	डूंगरपुर			
189	राजस्थारन	बूंदी			
190	राजस्थारन	उदयपुर			
सिक्किम (04)				
191	सिक्किम	पश्चिम सिक्किम			
192	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम			
193	सिक्किम	उत्तरी सिक्किम			
194	सिक्किम	दक्षिण सिक्किम			
तमिलनाडु	(11)				
195	तमिलनाडु	रामनाथपुरम			
196	तमिलनाडु	कुड्डालोर			
197	तमिलनाडु	कन्याकुमारी			
198	तमिलनाडु	सलेम			
199	तमिलनाडु	तेनकासी			
200	तमिलनाडु	तंजावुर			
201	तमिलनाडु	द निलगिरिस			
202	तमिलनाडु	थैनी			







203	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली		
204	तमिलनाडु	तूतीकोरिन		
205	तमिलनाडु	वेल्लोर		
तेलंगाना	(11)			
206	तेलंगाना	भद्राद्री कोठागुडेम		
207	तेलंगाना	कुमुराम भीम आसिफाबाद		
208	तेलंगाना	जयशंकर भूपालपल्ली		
209	तेलंगाना	मंचेरियल		
210	तेलंगाना	मुलुगु		
211	तेलंगाना	करीमनगर		
212	तेलंगाना	मेडक		
213	तेलंगाना	नगरकुरनूल		
214	तेलंगाना	नलगोंडा		
215	तेलंगाना	निजामाबाद		
216	तेलंगाना	संगारेड्डी		
त्रिपुरा ^{(C}	06)	-		
217	त्रिपुरा	गोमती		
218	त्रिपुरा	खोवाई		
219	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा		
220	त्रिपुरा	सिपाहीजला		
221	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा		
222	त्रिपुरा	उनाकोटी		
उत्तर प्रदेश	(13)			
223	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर		
224	उत्तर प्रदेश	कुशी नगर		
225	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज		
226	उत्तर प्रदेश	बागपत		
227	उत्तर प्रदेश	बदायूँ		
228	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर		
229	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर		
230	उत्तर प्रदेश	हाथरस		
231	उत्तर प्रदेश	झांसी		
232	उत्तर प्रदेश	ललितपुर		
233	उत्तर प्रदेश	मथुरा		
234	उत्तर प्रदेश	मे र ठ		
235	उत्तर प्रदेश	शामली		







उत्तराखंड	(05)	
236	उत्तराखंड	हरिद्वार
237	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर
238	उत्तराखंड	चम्पावत
239	उत्तराखंड	पौड़ी गढ़वाल
240	उत्तराखंड	रुद्रप्रयाग
पश्चिम बंगा	ल (10)	
241	पश्चिम बंगाल	झारग्राम
242	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार
243		कूचबिहार
244	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग
245	पश्चिम बंगाल	दिनाजपुर दक्षिण
246	पश्चिम बंगाल	दिनाजपुर उत्तर
247	पश्चिम बंगाल	कलिम्पोंग
248	पश्चिम बंगाल	मालदाह
249	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
250	पश्चिम बंगाल	नादिया

Online Application Submission for applying New JSS

Agency can submit application in online mode to MSDE through JSS Web Portal, https://jss.gov.in/. The agency can apply only, if the agency has valid and active DARPAN ID.

The application submission includes the following procedure:

- OTP based Registration/Login
- Filling the Application
 - 1. Agree to Terms & Conditions
 - 2. Agency Information
 - 3. Experience
 - 4. Financial Details
 - 5. Additional Details & District Applied
- Final Submission

For any technical support required during the application submission, agency can connect at jssmsde.help@gmail.com

1. Registration/Login

Step 1: Login to Portal

Open JSS website https://jss.gov.in/ and go to the link "APPLY FOR NEW JSS" & click "Apply".



JAN SHIKSHAN SANSTHAN

Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, Government of India Scheme of Support to Jan Shikshan Sansthan(NGO's) for Skill Development










Step 2: Send OTP

Fill valid DARPAN ID, PAN Number of the agency, contact details, captcha number& then click "Send OTP". An OTP will be sent on the entered mobile number.

ARPAN ID*				
AN Number*				
Enter Agency PAN Nun	ıber			
mail Id*				
Enter Email Id				
lobile Number*				
Enter Mobile Number				
Enter the answer of this question*				
Mobile Number* Enter Mobile Number				
acce the difference of diffs qu				

Step 3: Verify OTP

Enter the OTP received on the mobile number and click on "Verify OTP". If the OTP is correct and successfully verified, you will be successfully registered/login.



Please note that the email id and mobile number register with DARPAN ID first time cannot be changed. After first time registration, user has to use same email Id and mobile number along with DARPAN ID for re-login.

2. Application Submission

Step 1: Eligibility and Terms & Conditions

Post successful login, all eligibility criteria and terms & conditions will be listed. Please read them carefully and check if your agency is fulfilling all these conditions strictly. If you are eligible and adhere to all terms & conditions, go ahead and click on checkbox of "I/We Agree to all" and click "Next"

AGENCY FULFILLING THE CRITERIA GIVEN BELOW MAY APPLY FOR SETTING UP NEW JSS

- I. Valid Registration under Societies Registration Act 1860 or Trusteeship Act or Section 8 Companies Act 2013.
- II. Minimum 3 years experience on the date of application.
- III. Valid Registration under Section 12A & 80G of Income Tax Act.
- IV. Valid Registration under FCRA.
- V. Valid Registration on NGO Darpan Portal of NITI Aayog.
- VI. Minimum annual turnover of Rs.10.00 lakh in each financial year for the last three financial years i.e. 2018-19, 2019-20 and 2020-21.
- VII. Certificate regarding annual turnover from a Chartered Accountant on letter head should be uploaded.
- VIII. Experience of last 3 years in conducting vocational training / skill development / running educational institutions including medical / Entrepreneurship / community development / rural development / health / life skills / welfare programmes.

TERMS AND CONDITIONS


- I. Applicant agency should not have been blacklisted / de-linked by Ministry of Skill Development & Entrepreneurship. An undertaking has to be submitted on letter head
- II. The selected agency should register the Jan Shikshan Sansthan as a separate entity under Societies Registration Act as per the State / UT Act in the sanctioned District / state within 90 days from the date of sanction of JSS.
- III. The operational area of the JSS will be the district allotted only i.e. the programmes and activities of JSS should be conducted within the district and beneficiary can be from any part of country.
- IV. Prohibition on sub-letting: JSS must run the program by itself and any kind of sub-letting or sub-contracting or franchisee arrangement for the conduction of training is strictly prohibited under any circumstances
- V. JSS may collaborate / associate with the donor agencies / philanthropic organizations for setting up infrastructure / technical support for effective training
- VI. The allotment of JSS will be done in the identified districts through the selection procedure of MSDE.
- VII. MSDE will have the sole discretion to devise the method of allocation of JSS
- VIII. Selected Agency has to submit a Bank guarantee from Nationalized /Scheduled Bank of Rs.30 Lakh for a period of 18 months for each JSS separately


☐ I/We agree to above all Terms and Conditions.*

Cancel Next

Step 2: Agency Information

Fill agency related all information and upload required documents under this section and click on "Next" after filling all information.








- If agency already running JSS, fill the details
- The agency name should be as per Registration Certificate
- 3.6 At least details of five members to be filled

Step 3: Experience


Under this section, fill experience of agency and required details and click on "Next" after filling all information. Please note that NGOs already running JSS(s) not to include the achievements / activities of JSS anywhere.



^{*}Agency may give undertaking on its letterhead that all the programmes mentioned in the application related to Community development / rural development / health / life skills / welfare programmes are conducted by the agency. The undertaking may be uploaded.

Step 4: Financial Details

Fill financial details of the agency and upload required documents under this section and click on "Next". Please note that NGOs running JSS not to include the JSS grant/turnover anywhere.



2. Source of Income of organization


YEAR*	FUNDING FROM CENTRAL / STATE / LOCAL GOVERNMENT (INR)*	CSR FUNDING (INR)*	DONATIONS & OTHERS (INR)*	COPIES OF BALANCE SHEET, INCOME & EXPENDITURE STATEMENT, RECEIPT & PAYMENT STATEMENT **
2018-19	0	0	0	Choose File No file chosen
2019-20	0	0	0	Choose File No file chosen
2020-21	0	0	0	Choose File No file chosen

** Only pdf file of size 10KB to 2048KB is allow to upload.




Step 5: Additional Details & District Applied

Fill award and reward details received by the agency and upload related documents under this section. It is mandatory that agency should not be blacklisted/de-linked by MSDE and have to upload the undertaking in this regard.



After that, choose the district where you want to apply for JSS. If want to apply for multiple districts, you can click "Add" symbol and choose others districts to apply for. **An agency will allowed to fill only one application**, however for multiple districts the agency has to fill information for each district separately.

Click on "Next" after filling all information properly.



Step 6: Final Submission

This is the final step to submit the application. Please read and agree to final conditions for submitting the application, click on checkbox and finally "Submit" the application to Ministry.

Final Submission

×

- Acceptance of Agency to abide by terms and conditions, procedures mentioned in Scheme Guidelines and Expression
 of Interest.
- It is to certify that the information furnished and documents uploaded are correct and true the best of my knowledge and belief
- If any information found to be false and incorrect at any point of time, the application will be summarily rejected.

 \square I/We agree to above all conditions.



Post application submission, editing will be allowed for 7 days from the date of submission, or, till last date of application receiving (whichever is earlier).